

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र-2025-26 एवं 2026-27 हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना:-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 के अनुसार (ई-कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 की प्रति उपलब्ध) शैक्षणिक सत्र-2025-26 एवं 2026-27 के लिए निम्न प्रकार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

—: ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा :—

शैक्षणिक सत्र-2025-26			
क्र0	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	कार्यवाही प्रारम्भ की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2025-26 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि।	25.08.2026	25.09.2026
2.	सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के Institute Nodal Officer (INO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	अगले आदेश तक।	
3.	सम्बंधित District Nodal Officer (DNO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	अगले आदेश तक।	

शैक्षणिक सत्र-2026-27			
क्र0	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	कार्यवाही प्रारम्भ की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि।	25.08.2026	25.09.2026
2.	शैक्षणिक सत्र-2026-27 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि।	25.08.2026	20.11.2026
3.	सम्बंधित शैक्षणिक संस्थान के Institute Nodal Officer (INO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	अगले आदेश तक।	
4.	सम्बंधित District Nodal Officer (DNO) द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	अगले आदेश तक।	

आदिवासी कल्याण आयुक्त।